फर्द अहकाम

बाछूलाल वगै0 बनाम तहसीलदार सांगानेर व वगै0

त्र संख्या: 78/2019

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। दिनांक 28.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 27 व 28 के वकील उपस्थित। दिनांक 14.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 22, 23, 24, 34 से 37, 39 से 55 एवं 64 से 67 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 18.01.2023 को पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थीगण 2 ता0 08, 10 ता 21, 25, 29 ता 33, 38, 56 ता 63 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस उपस्थित पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान संख्या 129 के खसरा संख्या 1482/2215, 1483 लगायत 1488 व 1526/2216 कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 3.0100 हैक्टयर व वर्तमान संख्या 130 के खसरा नम्बर 1466, 1490, 1521 लगायत 1523 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 4.9400 हैक्टयर स्थित ग्राम बीलवा कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर का मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने की कृपा करे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को इस बाबत आदेश जारी करने की कृपा करे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का ठोस सीमा हरिनामयण्ण चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करे। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश [illegible] अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा [illegible] 1956 स्वीकार किया गया। तहसीलदार [illegible] निदेशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:39 IST
Reason: SelfAttested

024

बाछूलाल वगै0 बनाम तहसीलदार सांगानेर व वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 78/2019

स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण की ग्राम बीलवा कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान संख्या 129 के खसरा संख्या 1482/2215, 1483 लगायत 1488 व 1526/2216 कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 3.0100 हैक्टयर व वर्तमान संख्या 130 के खसरा नम्बर 1466, 1490, 1521 लगायत 1523 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 4.9400 हैक्टयर का तहसीलदार सांगानेर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 08.06.2018 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह पारदर्शिता अपनाते हुये तथा समस्त उभयपक्षकारानों की उपस्थिति में कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:39 IST
Reason: SelfAttested